




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 75] नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 1977 वैसाख 21, 1899
No. 75] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 1977 VAISAKHA 21, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th May 1977

No. Drawback/PN-20/77.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary—dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time—

Sub-serial Nos 3610 and 3611 and the entries relating thereto shall be deleted.

2. For sub-serial No. 3612 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely—

3612 Cast Steel Components of
Engineering Goods.

Rs. 200 00 (Rupees two
hundred only) per
tonne

3 Sub-serial No 3613 and 3614 and the entries relating thereto shall be deleted.

Providso below Sub-serial No. 3614 applicable to products mentioned at Sub-serial No. 3610 to 3614 shall also be deleted.

C. D. RANGACHARI, Dy. Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 1977

सं. प्रतिप्रदायगी—सा० सू० 20/77—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70 प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार, समय समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी, सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 3610 और 3611 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों को निकाल दिया जाए, ।

2. उपक्रमांक 3612 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

3612 ठले हुए इस्पात से बने इंजीनियरी समान 200.00 रु० (केवल दो सौ रुपये) प्रति मीट्रिक के संघटक टन ।

3. उपक्रमांक 3613 और 3614 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों को निकाल दिया जाए ।

उपक्रमांक 3610 से 3614 पर निर्दिष्ट उत्पादों पर लागू उपक्रमांक 3614 के नीचे के परन्तु को भी निकाल दिया जाए ।

सी० डी० रंगाचारी, उप-सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977